

	<p>(2) यदि सम्बन्धित सदस्य को प्रतिकूल कारण दर्शाने के लिए उचित अवसर देने के बाद, सहायक आयुक्त संतुष्ट हो जाता है कि ग्राम आम निकाय का पैसा अथवा अन्य सम्पत्ति की क्षति, बर्बादी अथवा गलत इस्तेमाल होता है तो यह उसकी ओर से प्रत्यक्ष रूप से गलत आचरण अथवा जानबूझ कर की गई लापरवाही है। वह ऐसे सदस्य को लिखित आदेश द्वारा निर्धारित तारीख से पहले ग्राम परिषद के सम्मुख ऐसी क्षति, दुरुपयोग करने अथवा गलत इस्तेमाल किए गए राशि को चुकाने का निदेश देगा।</p> <p>बशर्ते कि असली अथवा तकनीकी अनियमितता अथवा सदस्य की गलती के लिए इस प्रकार का कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा।</p> <p>(3) यदि इस प्रकार राशि अदा नहीं की गई, सहायक आयुक्त निर्धारित अनुसार इसे वसूल करेंगे।</p> <p>(4) सहायक आयुक्त के आदेश को, आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपायुक्त के पास अपील की जा सकेगी।</p>	
	<p>49. (1) यदि प्रशासक की राय में, ग्राम परिषद</p> <p>(क) शक्तियों का दुरुपयोग करता है अथवा</p> <p>(ख) प्रशासक द्वारा ग्राम परिषद को इस विनियम अथवा तत्सम्यम के लिए लागू कोई अन्य कानून के अन्तर्गत दिए गए कर्तव्यों को निष्पादित करने में जानबूझ कर और लगातार चूक करना अथवा</p> <p>(ग) ग्राम परिषद इस विनियम के अन्तर्गत उद्ग्राह्य कर की उगाही करने में असफल होता है, अथवा</p> <p>(घ) धारा 47 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बनाए गए उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के आदेश का लगातार अवज्ञा करना, प्रशासक आदेश द्वारा सरकारी राजपत्र में ग्राम परिषद को विघटित करने का आदेश प्रकाशित कर सकते हैं।</p> <p>(2) ग्राम परिषद को स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर दिए बिना उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई आदेश पारित नहीं करेगा।</p> <p>(3) यदि उप धारा (1) के अन्तर्गत ग्राम परिषद को विघटित किया गया तो (1) निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जाएगा अर्थात्:</p> <p>(क) ग्राम परिषद के सभी सदस्यों की आदेश में निर्धारित तारीख से सदस्यता समाप्त हो जाएगी,</p>	<p>ग्राम परिषद का विघटन</p>